भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3908

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मजदूरी रोजगार के लिए पंजीकृत ग्रामीण परिवार

3908. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेड्डापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मजदूरी रोजगार के लिए पंजीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के पेड्डापल्ली, मंचिरियाल, जगित्याल और जयशंकर भूपालपल्ली भागों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सृजित कार्य-दिवसों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कोई मजदूरी भुगतान लंबित है और यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जल संरक्षण, खेत पोखरों, ग्रामीण सड़कों, वृक्षारोपण, जल निकासी और सामुदायिक परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला-प्रमुख और भूमिहीन परिवारों को समुचित मजदूरी रोजगार प्राप्त हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण मंडलों में आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की शुरुआत के परिणामस्वरूप, इस योजना को 01 जुलाई, 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। आज की तारीख में, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी योजना के तहत मजदूरी रोजगार के लिए पेद्दपल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 4.06 लाख ग्रामीण परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पेद्दपल्ली, मंचिर्याल, जगित्याल और जयशंकर भूपालपल्ली में सृजित किए गए श्रमदिवस का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सृजित किए गए श्रमदिवस

क्र.सं.	जिले	2025-26	2024-25	2023-24
1	जगित्याल	18.57	42.45	37.32
2	जयशंकर भूपालपल्ली	11.31	20.46	21.19
3	मंचिर्याल	20.81	31.68	27.47
4	पेद्दपल्ली	16.60	27.07	25.02
	कुल	67.29	121.66	111.01

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियां, यदि कोई हों, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

(घ): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची - । के अनुसार, विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में संरक्षण, सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण, स्रोत स्थिरता, जल निकायों का कायाकल्प, वाटरशेड विकास और वनीकरण तथा निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

(i) नहरों, बाढ़ या मोड़ चैनलों, चेक डैम, गल्ली प्लग और भूमिगत डाइक का निर्माण;

(ii) तालाबों, परकोलेशन टैंकों, रिचार्ज गड्ढों, रिचार्ज शाफ्टों, इंजेक्शन कुओं और इनसे संबंधित जल संचयन संरचनाओं का निर्माण या कायाकल्प;

(iii) सिंचाई खुले कुएं, सूक्ष्म सिंचाई चैनल और क्षेत्र जल वितरण प्रणाली;

(iv) जल भराव वाली सामुदायिक भूमि का पुनरुद्धार;

(v) मृदा और नमी संरक्षण से जुड़े वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य; और

(vi) छत पर वर्षा जल संचयन और अन्य विकेंद्रीकृत पुनर्भरण प्रणाली।

इस संबंध में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त परामर्श साझा किया गया है, तदनुसार, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की उपलब्ध गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट में 'अति-दोहनकृत', 'गंभीर' और 'कम-गंभीर' के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक) को हस्तक्षेप

के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में रखा जाना जारी रहेगा, और वीबी-जी राम जी के तहत संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लागत के संदर्भ में मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक) में किए जाने वाले कार्यों का न्यूनतम प्रतिशत जल संरक्षण, जल संचयन और अन्य जल-संबंधी कार्यों के लिए होगा, जैसा कि निम्नलिखित है: -

(i) 'अति-दोहन' और 'गाभीर' ग्रामीण ब्लॉकों में 65%;

(ii) 'अल्प-गंभीर' ग्रामीण ब्लॉकों में 40%; और

(iii) 'सुरक्षित' ग्रामीण ब्लॉकों में 30%।

(ङ): वीबी-जी राम जी योजना के तहत अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), महिला-मुखिया और भूमिहीन परिवारों सहित सभी पात्र ग्रामीण परिवार उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक के मजदूरी रोजगार के हकदार हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यों का पर्याप्त सूची बनाने, अग्रिम योजना बनाने और श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की सलाह दी गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि वीबी-जी राम जी के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास है।

मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी कर रहा है और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र ग्रामीण परिवार वीबी-जी राम जी के तहत अपनी मांग के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हों। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रदान किया गया रोजगार और पेद्दपल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	जिला	रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या				रोजगार का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या
		अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	कुल	
1	जगित्याल	16090	3518	44681	64289	59256
2	मंचिर्याल	17864	9139	28328	55331	50006
3	पेद्दपल्ली	10178	1656	37761	49595	46112
	कुल	44132	14313	110770	169215	155374
राष्ट्रीय स्तर (लाख में आंकड़ा)		98.37	92.59	342.73	533.70	405.35

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

(च): निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण मंडलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के माध्यम से कई उपाय किए हैं, जिसमें गारंटीकृत मजदूरी रोजगार, टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण, सतत आजीविका को बढ़ावा देने और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में प्रौद्योगिकी आधारित कार्यान्वयन, समय पर मजदूरी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कार्यों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए सतत आजीविका सुरक्षा बढ़ रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 की अवधि के लिए), वीबी-जी राम जी के लिए केंद्रीय हिस्से हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में देश में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक किए गए सबसे बड़े आवंटनों में से एक है। संबंधित अनुमानित राज्य हिस्सेदारी को शामिल करने के साथ, कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कायाकल्प, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और आय वृद्धि में तेजी आएगी। इसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के तहत विभिन्न घटकों के लिए पहली किश्त के रूप में 25,844.97 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।
